

न्यायालय अंचल अधिकारी, काँके (राँची)।

विविध वाद संख्या- 29/2021-22

श्री गनू उराँव

..... वादी

बनाम

श्री उमेश केशरी एवं अन्य

.....प्रतिवादी

आदेश पत्रक

मौजा- चामा

कार्रवाई के
आदेश की
तिथि

न्यायालय के आदेश एवं हस्ताक्षर

कार्यालय
आदेश एवं
दिनांक

16/04/22

आवेदक श्री गनू उराँव पिता स्व० जितवा उराँव ग्राम- चामा, थाना- काँके, जिला- राँची द्वारा मौजा- चामा, थाना सं०- 55, खाता सं०-8, प्लॉट सं०- 132, 551, 558, 559, 608, 656, 657, 743, 744, 987, 989, 988, 990, 1032, 1033, 1076, 1129, 1162, 1163, 1164, 1167, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1196, कुल रकबा- 10 एकड़ 33 डी० भूमि का ऑनलाईन छेड़छाड़ कर झलकनाथ साहु के नाम से दर्ज जमाबंदी को रद्द करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। उक्त के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अंचल अधिकारी
काँके, राँची

11/02/23

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- चामा, थाना सं०- 55, खाता सं०-8, प्लॉट सं०- 132, 551, 558, 559, 608, 656, 657, 743, 744, 987, 989, 988, 990, 1032, 1033, 1076, 1129, 1162, 1163, 1164, 1167, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1196, कुल रकबा- 10 एकड़ 33 डी० भूमि का मामला भू-वापसी से संबंधित है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का मामला भू-वापसी से संबंधित है। इस संबंध में आवेदक एस०ए०आर० न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
काँके, राँची

अंचल अधिकारी
काँके, राँची